संख्या : 1855/आठ–1–17–80विविध/2010

प्रेषक,

मुकुल सिंहल
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 05 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2017

विषयः प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत "अफोर्डेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप" मद के अन्तर्गत प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग हेतु भवनों का निर्माण।

महोदय,

भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में अफोर्डेबल हाउसिंग इन–पार्टनरशिप में ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के निर्माण के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीनस्थ अभिकरणों द्वारा प्रदेश में 1.00 लाख भवनों के निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है। अभिकरणवार निर्धारित लक्ष्य की फांट संलग्न हैं।

निर्मित किये जाने वाले भवन में 02 कमरे, रसोंई घर, शौचालय, स्नानघर व एक बालकनी का प्राविधान है। भवनों की डिजाइन संलग्न है। भवनों की सीलिंग कॉस्ट आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–3267/आठ–1–16–80विविध/2010 दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 द्वारा निर्धारित रू0 4.50 लाख प्रति भवन निर्धारित की जाती है। भवन का निर्माण भूतल+3 मंजिल अर्थात 04 मंजिल तक किया जाएगा।

भवनों के निर्माण हेतु योजना के स्वरूप का गठन इस प्रकार किया जाना है कि योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 250 आवास हो तथा उक्त के अन्तर्गत न्यूनतम 35 प्रतिशत आवास दुर्बल आय वर्ग के हों। 100 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 आवासों की भी योजना बनाई जा सकती है। उक्त प्रकार से गठित परियोजनाओं पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रारूप पर योजना प्रेषित की जानी होगी, जिस क्रम में भारत सरकार का अंशदान रू0 1.50 लाख तथा राज्य सरकार का अनुदान रू0 1.00 लाख प्रति भवन प्राप्त किया सकेगा। भवन की लागत से संबंधित अवशेष धनराशि (रूपये दो लाख) लाभार्थी से प्राप्त की जाएगी। इस हेतु संबंधित अभिकरण लाभार्थी को ऋण दिलाये जाने हेतु सहयोग करेगा।

दुर्बल आय वर्ग के लाभार्थियों को बैंको/वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कराने हेतु सम्पत्ति को बन्धक रखने तथा ऋण वसूली हेतु उसे ऋण दाताओं द्वारा बेचने के व्यवस्था के संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जाएगें।

नगरवार लाभार्थियों की सूची, सूडा द्वारा आवास बन्धु के माध्यम से संबंधित विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी। भवनों का निर्माण प्रचलित बाइलॉज एवं नियमों के अन्तर्गत कराया जायेगा।

उक्त व्यवस्था हेतु आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–3267/आठ–1–16–80विविध/10, दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 तद्नुसार संशोधित समझा जायेगा।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(मुकुल सिंहल)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1055(1)/आठ–1–17 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण।
5. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
7. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुकुल सिंहल)
प्रमुख सचिव।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में अभिकरणवार भवन निर्माण के लक्ष्य

श्रेणी	अभिकरण का नाम	लक्ष्य
1	2	3
1	आ.वि. परिषद	30000
2	गाजियाबाद वि.प्रा.	9000
3	कानपुर वि.प्रा.	10000
4	लखनऊ वि.प्रा.	12000
5	आगरा वि.प्रा.	10000
6	इलाहाबाद वि.प्रा.	6500
7	मेरठ वि.प्रा.	2000
8	मुरादाबाद वि.प्रा.	5000
9	अलीगढ़ वि.प्रा.	3000
10	बरेली वि.प्रा.	1000
11	गोरखपुर वि.प्रा.	1500
12	मथुरा–वृन्दावन वि.प्रा.	1500
13	वाराणसी वि.प्रा.	1500
14	बांदा वि.प्रा.	500
15	बुलन्दशहर वि.प्रा.	500
16	फैजाबाद वि.प्रा.	500
17	फिरोजाबाद वि.प्रा.	800
18	हापुड़–पिलखुआ वि.प्रा.	800
19	झांसी वि.प्रा.	500
20	मुजफरनगर वि.प्रा.	500
21	रायबेरली वि.प्रा.	500
22	सहारनपुर वि.प्रा.	500
23	उन्नाव वि.प्रा.	500
24	रामपुर वि.प्रा.	500
25	उरई वि.प्रा.	500
26	खुर्जा वि.प्रा.	0
27	आजमगढ़ वि.प्रा.	200
28	बागपत–बड़ौत खेकड़ा वि.प्रा.	100
29	बस्ती वि.प्रा.	100
योग :		**100000**